न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 22/2019 प्रार्थनापत्र

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956</u>

उनवान

1. श्री मोहन लाल पिता रामचन्द्र कुमावत निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामलाल हम्जा पिता उदा कुमावत निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां
2. श्री भागचन्द जाट निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकलां
3. श्री उमराव पिता जगन्नाथ सिंह चौधरी निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकलां
4. श्री लादू पिता जग्गा माली निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण के ग्राम **कोठिया पटवार हल्का कोठिया तहसील फूलियाकलां** मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की **आ0न0 1255 रकबा 0.30, आ0न0 1876 रकबा 0.04, आ0न0 2091 रकबा 0.31, आ0न0 2717 रकबा 2.00, आ0न0 2720/4175 रकबा 0.02, आ0न0 4418/1878 रकबा 0.14, आ0न0 4418/1870 रकबा 0.70 है0,** का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम कोठिया संवत 2072 से 2075** तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर

Scanned by CamScanner

अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा कोठिया** मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की **आराजीयात किता 7 रकबा 3.69 हैक्टयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस नियमानुसार प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 29.11.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner